




वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश 2012 & 2013



वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, दारु कल्याण सिंह भवन,
मंत्रालय, रायपुर

NRRkhl x<+
vk; &0; ; d
I aki ea



2012&2013

i Lrkouk

छत्तीसगढ़ आय-व्ययक संक्षेप में, 2012-2013 मुख्य आय-व्ययक को सरलतापूर्वक स्थूल रूप से समझाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है । इसमें राज्य विधान सभा के समक्ष 17 मार्च, 2012 को प्रस्तुत छत्तीसगढ़ राज्य के वार्षिक बजट वर्ष 2012-2013 की आय-व्ययक की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में तालिकाओं एवं चित्रलेखों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । राज्य शासन द्वारा वर्ष 2012-2013 में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यय की राशि के माध्यम से विभिन्न शासकीय गतिविधियों को दी गई प्राथमिकता को प्रस्तुत पुस्तिका में संक्षेप में दर्शाया गया है । साथ ही, वर्ष 2012-2013 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों पर व्यय की पूर्ति हेतु विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व को भी संक्षेप में दिया गया है । इसमें वर्ष 2010-2011 (लेखा) 2011-2012 पुनरीक्षित अनुमान (पु.अ.) तथा वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक अनुमान (आ.अ.) दिये गये हैं ।

fo"k; I ph

i Lrkouk

i "B

1. बजट एक नजर में 2012–2013	02
2. राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व लेखे पर व्यय, 2012–2013	04
3. राजस्व लेखे पर आधिक्य या घाटा	06
4. करों और शुल्कों से प्रमुख शीर्षवार राजस्व	08
5. स्रोतवार कर–भिन्न राजस्व	10
6. केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान	12
7. राजस्व लेखे पर प्रमुख शीर्षवार व्यय	14
8. प्रमुख शीर्षवार पूँजीगत व्यय	20
9. राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	22
10. आयोजना व्यय	24
11. नया व्यय	26
12. लोक ऋण	28
13. लोक लेखा	30
14. शुद्ध लेन–देन के परिणाम	32
15. शासकीय प्रतिभूतियों में वित्तीय विनियोजन	34
16. शासकीय प्रत्याभूतियाँ	36
17. राज्य योजना, 2012–2013 के अन्तर्गत परिव्यय	38
18. राज्य योजना, 2012–2013 के लिए संसाधन	40

ctV vk; &0; ; d

2012&2013

, d utj eя

ctV , d utj es 2012&2013



वर्ष 2012-2013 में राज्य की कुल आय 37573.61 करोड़ रुपये अनुमानित है । इस आय में राजस्व आय 31378.64 करोड़ रुपये, लोक ऋण (शुद्ध) 3722.20 करोड़ रुपये, ऋण और अग्रिम 1571.70 करोड़ रुपये, तथा लोक लेखा (शुद्ध) 500.00 करोड़ रुपये सम्मिलित है । बजट घाटा 401.07 करोड़ रुपये होने का अनुमान है । राज्य की आय की तुलना में कुल व्यय 37573.61 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें राजस्व व्यय 28419.38 करोड़ रुपये, पूँजी व्यय 7189.89 करोड़ रुपये, तथा ऋण और अग्रिम 1964.34 करोड़ रुपये के व्यय सम्मिलित हैं । राज्य का बजट निम्नानुसार है:-

(करोड़ रूपयों में)

विवरण	आय	व्यय
1	2	3
1- राजस्व	31378.64	28419.38
2- पूँजी	0.00	7189.89
3- लोक ऋण (शुद्ध)	3722.20	0.00
4- ऋण और अग्रिम	1571.70	1964.34
5- लोक लेखा (शुद्ध)	500.00	0.00
6- बजट घाटा	401.07	0.00
; kx	37573-61	37573-61

ctV , d utj ea 2012&2013

¼ fr'kr e½



jkTLo ikflr; k; , oajktLo ys[ks ij 0; ;] 2012&2013


अनुमान है कि वर्ष 2012-2013 में छत्तीसगढ़ को राजस्व प्राप्तियाँ 31378.64 करोड़ रुपये और राजस्व लेखे पर व्यय 28419.38 करोड़ रुपये होगा । इस प्रकार, राज्य का आय-व्ययक 2959.26 करोड़ रूपयों का राजस्व शेष दर्शाता है ।

पार्श्व पृष्ठ पर दिये गये चित्रलेख में राज्य के वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक के प्रमुख राजस्व स्रोत तथा व्यय के प्रस्तावित शीर्ष दिखलाये गये हैं । राज्य के प्रमुख कर हैं, बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क है, जिनका सम्मिलित रूप से राज्य के कुल राजस्व में लगभग 28.20 प्रतिशत का योगदान है । कर-भिन्न राजस्व के राज्यीय स्रोतों में प्रमुख हैं - अलौह धातु खनन, धातुकर्म उद्योग तथा अन्य समस्त उद्योग एवं सिंचाई (वृहद, मध्यम तथा लघु) । इनसे राज्य के कुल राजस्व का क्रमशः 9.58 तथा 4.78 प्रतिशत भाग प्राप्त होगा । केन्द्रीय शासन से प्राप्त सहायक अनुदान कुल राजस्व का 20.28 प्रतिशत है । व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शीर्ष शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति तथा कृषि और सम्बद्ध क्रिया कलाप (ग्रामीण विकास सहित) है । इस पर वर्ष 2012-2013 में प्रस्तावित राजस्व व्यय का क्रमशः 22.83 प्रतिशत तथा 17.71 प्रतिशत खर्च किया जायेगा । सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण एवं पोषाहार, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को भी काफी महत्व दिया गया है । वर्ष 2012-2013 में इन मदों पर क्रमशः 7.67 प्रतिशत, 5.29 प्रतिशत तथा 4.52 प्रतिशत राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है । सामने वाले पृष्ठ पर राजस्व लेखे के आय-व्ययक के प्रमुख घटक दर्शाये गये हैं ।

NRrhl x<+ vk; &0; ; d

ikflr; k

0; ;



jktLo yq[k

जिल्हा वसुली वक/कड; ; क ?कक

निम्न तालिका में छत्तीसगढ़ के वर्ष 2012-2013 के राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व लेखे पर व्यय के प्रमुख मदों को दर्शाया गया है :-

(करोड़ रूपयों में)


शीर्ष	2010-2011 (लेखा)	2011-2012 (पु.अ.)	2012-2013 (आ.अ.)
1	2	3	4
जिल्हा वसुली वक			
1. करों एवं शुल्कों से राजस्व	14430.33 (63.52)	17011.98 (61.40)	19670.42 (62.69)
2. कर-भिन्न राजस्व	3835.32 (16.88)	4537.18 (16.37)	5345.56 (17.03)
3. केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान	4453.89 (19.60)	6159.14 (22.23)	6362.66 (20.28)
; क	22719-54 100-00%	27708-30 100-00%	31378-64 100-00%
जिल्हा 0; ; %			
1. आयोजनेत्तर	11286.39 (58.31)	13762.68 (53.83)	15631.14 (55.00)
2. आयोजना	8069.36 (41.69)	11805.01 (46.17)	12788.24 (45.00)
; क	19355-75 (100.00)	25567-69 (100.00)	28419-38 (100.00)
वक/कड; 1/4-1/2 ; क ?कक 1/4-1/2	3363-79	2140-61	2959-26

वही % कोष्ठक में दिये गये अंक कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं कुल राजस्व व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं ।

राजस्व सहायक अनुदान


(करोड़ रु. में)

राजस्व सहायक अनुदान



(करोड़ रु. में)

आयोजना



कर राजस्व के प्रमुख शीर्ष


वर्ष 2012-2013 की कुल 31378.64 करोड़ रूपयों की राजस्व प्राप्तियों में से 19670.42 करोड़ रूपये कर राजस्व द्वारा प्राप्त होना अनुमानित है, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 62.69 प्रतिशत है। निम्न तालिका में कर राजस्व के प्रमुख शीर्षों का योगदान दर्शाया गया है :-

(करोड़ रूपयों में)

कर राजस्व के प्रमुख शीर्ष	2010-2011 (लेखा)	2011-2012 (पु.अ.)	2012-2013 (आ.अ.)
1	2	3	4
vk; vk; 0; ; ij dj	3249-91	3933-53	4521-11
1. निगम कर	2120.52	2633.12	3028.09
2. निगम कर से भिन्न आय पर कर	1120.57	1295.11	1489.38
3. होटल प्राप्ति कर	2.25	2.30	2.64
4. आय और व्यय पर अन्य कर	6.57	3.00	1.00
I EifRr vk; ipthxr ysunuka ij dj	1037-57	1129-95	1280-70
1. भू-राजस्व	247.37	250.00	275.00
2. स्टाम्प और पंजीकरण	785.85	875.00	1000.00
3. धन पर कर	4.35	4.95	5.70
oLrpk vk; I okvka ij dj	10142-85	11948-50	13868-61
1. सीमा शुल्क	948.66	1103.41	1268.92
2. संघ उत्पाद शुल्क	690.12	841.56	967.79
3. राज्य उत्पाद शुल्क	1506.44	1550.00	1650.00
4. बिक्री, व्यापार, आदि पर कर	4840.79	6000.00	7200.00
5. वाहनों पर कर	427.51	475.00	550.00
6. माल एवं यात्रियों पर कर	675.14	700.00	805.00
7. बिजली पर कर और शुल्क	502.53	632.50	684.01
8. सेवा कर	540.97	639.19	735.07
9. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	10.69	6.84	7.82
; kx	14430-33	17011-98	19670-42

द्वितीय क्रम की आयकरों का वितरण

(करोड़ रु. में)




Lkrokj dj&fHkUu jktLo

निम्न तालिका में कर-भिन्न राजस्व के स्रोत दर्शाये गये हैं :-

(करोड़ रूपयों में)

कर-भिन्न राजस्व के स्रोत	2010-2011 (लेखा)	2011-2012 (पु.अ.)	2012-2013 (आ.अ.)
1	2	3	4
jkt dkskh; l ok; a	&	&	&
C; kt ikfir; kj ykHkak vkj ykHk	175-25	305-40	311-55
1. ब्याज प्राप्तियाँ	170.95	302.40	308.55
2. लाभांश और लाभ	4.30	3.00	3.00
l kekl; l ok; a	60-23	53-16	56-37
1. पुलिस और जेलें	19.81	15.31	17.07
2. लोक निर्माण	15.74	10.37	10.45
3. अन्य	24.68	27.48	28.85
l kekt d l ok; a	131-62	46-01	38-55
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	68.84	3.58	3.62
2. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलपूर्ति और सफाई	16.05	28.80	20.54
3. आवास और नगर विकास	4.51	4.89	5.14
4. श्रम और रोजगार	8.59	6.93	7.44
5. अन्य	33.63	1.81	1.81
vkfFkd l ok; a	3468-22	4132-61	4939-09
1. कृषि कार्य, पशुपालन, डेयरी विकास, सहकारिता और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	54.68	19.94	19.93
2. वानिकी और वन्य जीवन	305.17	400.00	405.00
3. अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग तथा अन्य समस्त उद्योग	2475.57	2704.84	3005.28
4. सिंचाई (वृहद, मध्यम तथा लघु)	625.23	1000.00	1500.01
5. अन्य	7.57	7.83	8.87
; ksx	3835-32	4537-18	5345-56

Ukrokoj d; fHku jktLo




केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान

केन्द्रीय सरकार से राज्य को प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान वर्ष 2012-2013 के कुल राजस्व प्राप्तियों का 20.28 प्रतिशत होंगे । निम्न तालिका में इन अनुदानों का विवरण दर्शाया गया है :-

(करोड़ रूपयों में)


केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान	2010-2011 (लेखा)	2011-2012 (पु.अ.)	2012-2013 (आ.अ.)
1	2	3	4
1. राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये	2539.44	3069.45	3359.98
2. केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये	838.58	1304.37	1274.36
3. केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिये	47.95	430.78	396.17
4. आयोजना भिन्न अनुदान	1027.92	1354.54	1332.15
; कुल	4453.89	6159.14	6362.66

दलनह; I jdkj I s I gk; d vuqku ¼ fr'kr e½




2010-2011(लेखा)

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| □ राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये | ■ केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये |
| ▨ केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के लिये | □ आयोजना भिन्न अनुदान |



2011-2012(पु.अ.)



2012-2013(आ.अ.)

जक्तल० यक्षिजि एदक 'क'क'क' ०; ; ¼ केक; १ क; ½

निम्न तालिका में राजस्व लेखे पर होने वाला व्यय, प्रमुख शीर्षों के अनुसार दर्शाया गया है :-

(करोड़ रूपयों में)


व्यय के शीर्ष	2010-2011 (लेखा)	2011-2012 (पु.अ.)	2012-2013 (आ.अ.)
1	2	3	4
द & १ केक; १ क; १			
1- जक; दसव	165-80	281-25	267-89
अ. राज्य विधान मंडल, राज्यपाल, मंत्री-परिषद् और निर्वाचन	61.22	88.75	92.92
आ. न्याय प्रशासन	104.58	192.50	174.97
2- जकदक; १ क; १	347-38	632-37	608-17
अ. आय और व्यय पर करों का संग्रह	—	—	—
आ. सम्पत्ति और पूँजीगत लेन-देनों पर संग्रह	168.65	337.57	343.82
इ. वस्तुओं और सेवाओं पर करों की वसूली	178.09	294.00	263.51
ई. अन्य राजकोषीय सेवायें	0.64	0.80	0.84
3- क; क्त १ खग वक; .क १ फ'क'कु ०; ;	1298-37	1354-34	1542-55
अ. ऋण में कमी अथवा उससे बचाव के लिए विनियोग	100.00	100.00	200.00
आ. ब्याज संदाय	1198.37	1254.34	1342.55
4- १'कल फुद १ क; १	1625-08	2066-86	2635-77
अ. सचिवालय-सामान्य सेवायें, जिला प्रशासन तथा राजकोष और लेखा प्रशासन	197.19	322.95	307.17
आ. पुलिस और जेलें	1178.12	1574.57	1745.24
इ. लेखन सामग्री और मुद्रण	4.41	10.91	8.41
ई. लोक निर्माण	193.98	89.27	86.74
उ. अन्य प्रशासनिक सेवायें	51.38	69.16	488.21
5- १कु वक; फोफो/क १ केक; १ क; १	1810-43	1903-69	2185-24
;क & द	5247-06	6238-51	7239-62

क्रमशः

राज्य के अंग

- ब्याज संग्रह और ऋण परिशोधन व्यय
- प्रशासनिक सेवायें
- पेंशन और विविध सामान्य सेवायें
- राजकोषीय सेवायें
- राज्य के अंग

(करोड़ रु. में)



जिल्हा वित्त विभाग १४ वे वित्त वर्ष


(करोड रुपयां में)

व्यय के शीर्ष	2010-2011 (लेखा)	2011-2012 (पु.अ.)	2012-2013 (आ.अ.)
1	2	3	4
कुल व्यय			
1. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	4081.69	5944.70	6487.15
2. चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	748.91	1133.60	1284.30
3. जलपूर्ति और सफाई	338.26	433.35	425.93
4. आवास और शहरी विकास	348.05	747.73	1087.82
5. श्रम और रोजगार	60.99	120.53	133.73
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	966.13	1387.01	1504.78
7. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं पोषाहार	1778.24	2424.51	2178.69
8. दैवी विपत्तियों आपदाओं के सम्बन्ध में राहत	(-) 52.70	273.25	200.40
9. सूचना और प्रसारण	29.29	41.23	42.39
10. अन्य	10.86	14.53	14.54
कुल व्यय	8309.72	12520.44	13359.73

क्रमशः

जल संकट से निपटारे के लिए व्यय का वितरण

(करोड़ रु. में)




- अन्य
- सूचना और प्रसारण
- दैवी विपत्तियों आपदाओं के सम्बन्ध में राहत
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं पोषाहार
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण
- श्रम और रोजगार
- आवास और शहरी विकास
- जलपूर्ति और सफाई
- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति

जिल्हा वित्त विभाग 'क' वर्ग ; वित्त विभाग ;

(करोड रुपयां में)


व्यय के शीर्ष	2010-2011 (लेखा)	2011-2012 (पु.अ.)	2012-2013 (आ.अ.)
1	2	3	4
खर्च वित्त विभाग ;			
1- निम्न वित्त विभाग ; कर्तव्य	2590-35	2552-39	3024-93
अ. कृषि कार्य, पशुपालन, सहकारिता, भू-और जल संरक्षण तथा डेयरी विकास	1034.40	1185.40	1521.26
आ. वानिकी और वन्य जीवन	724.36	862.85	959.33
इ. अन्य	831.59	504.14	544.34
2- खर्च विभाग	1216-21	1866-19	2007-58
3- फल प्रकल्प रक्षा कार्य ; अ.क	288-28	244- 87	259-57
अ. वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई	284.50	240.24	254.48
आ. कमान क्षेत्र विकास	3.78	4.63	5.09
4- मत्त	297-89	314-69	314-28
5- मत्त वित्त विभाग ; कर्तव्य	326-34	464-99	466-62
अ. उद्योग (ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग सहित)	123.90	226.92	190.54
आ. अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	202.44	238.07	276.08
6- विभाग	300-08	557-18	849-24
अ. सड़कें और पुल	300.08	557.15	849.21
आ. अन्य	0.00	0.03	0.03
7- विभाग	5-10	38- 06	34-41
8- फल प्रकल्प रक्षा कार्य , आ.क ; कर्तव्य	4-42	11- 10	12-59
9- विभाग ; वित्त विभाग , आ.क ; कर्तव्य	62-75	72- 59	102-51
कर्तव्य विभाग ; कर्तव्य	5091-42	6122- 06	7071-73
कर्तव्य विभाग ; कर्तव्य	707-55	686- 68	748-30
स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति समनुदेशन	707.55	686. 68	748.30
कर्तव्य ; कर्तव्य	19355-75	25567-69	28419-38

संयुक्त राज्य भारत में विकास



- सहायक अनुदान, अंशदान आदि
- आर्थिक सेवाएं
- सामाजिक सेवाएं
- सामान्य सेवाएं

सहायक अनुदान, अंशदान आदि



पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत राजस्व लेखे के बाहर होने वाला व्यय आता है ;


पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत राजस्व लेखे के बाहर होने वाला व्यय आता है, जिसकी पूर्ति प्रायः उधार ली गई राशि से की जाती है । निम्न तालिका में पूँजीगत व्यय के महत्वपूर्ण शीर्ष दर्शाये गये हैं :-

(करोड़ रूपयों में)

व्यय के शीर्ष	2010-2011 (लेखा)	2011-2012 (पु.अ.)	2012-2013 (आ.अ.)
1	2	3	4
दलकेलु; लक;	52-87	128-72	162-00
1.लोक निर्माण	51.42	118.64	139.71
2.अन्य	1.45	10.08	22.29
[कलकेलुतद लक; अ	827-60	1473-16	1462-27
1.शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	303.17	434.39	373.50
2.स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	97.88	314.54	236.66
3.जलपूर्ति और सफाई	7.85	19.91	49.11
4.आवास और नगर विकास	177.13	502.45	595.79
5.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	217.28	125.32	104.08
6.सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं पोषाहार	19.15	56.02	56.13
7.सूचना और प्रसारण	0.01	0.01	0.02
8.अन्य	5.13	20.52	46.98
खवकलुद लक; अ	2071-04	4242-25	5565-62
1.कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	52.23	108.18	116.08
2.ग्रामीण विकास	170.98	100.55	91.05
3.सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	1038.99	1792.25	2183.70
4.उर्जा	0.00	900.00	400.00
5.उद्योग और खनिज	(-) 26.27	39.64	39.68
6.परिवहन	816.37	1276.02	2707.11
7.सामान्य आर्थिक सेवायें	18.74	25.61	28.00
; लख & दलकेलु	2951-51	5844-13	7189-89

सर्वोच्च शिक्षण क्षेत्रातील खर्च

■ आर्थिक सेवायें
 ■ सामाजिक सेवायें
 ■ सामान्य सेवायें



राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम

पूँजीगत व्यय के साथ ही, जिसका उल्लेख किया जा चुका है, राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार कृषकों, स्थानीय निकायों, औद्योगिक संस्थाओं, शासकीय कर्मचारियों व गैर शासकीय पक्षों को ऋण तथा अग्रिम राशि दिया करती है। वर्ष 2012-2013 के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले ऋण तथा अग्रिम की स्थिति को निम्न तालिका दर्शाती है :-

(करोड़ रूपयों में)


राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	2010-2011 (लेखा)	2011-2012 (पु.अ.)	2012-2013 (आ.अ.)
1	2	3	4
1. ऋण %			
आयोजनेत्तर	12.34	11.27	10.47
आयोजना	556.56	1324.37	1953.87
कुल	568-90	1335-64	1964-34
अग्रिम	563-81	1253-08	1571-70
कुल ऋण तथा अग्रिम	₹ 509	₹ 82-56	₹ 392-64

राज्य सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण व अग्रिम की राशि का वर्ष 2010-2011 (लेखा) में 97.83 प्रतिशत, 2011-2012 (पु.अ.) में 99.16 तथा 2012-2013 (आ.अ.) में 99.47 प्रतिशत आयोजना कार्यों के लिये है।

ज॒कT; I jdkj }kj k __.k rFkk vfxæ

(करोड़ रु. में)

I fori.k



व्यय ; कस्तुक 0; ;


आयोजना व्यय मूलतः राष्ट्र-निर्माण एवं समाज सेवाओं से सम्बन्धित है । उत्पादन क्षेत्र एवं समाज सेवा क्षेत्र पर किये गये व्यय इसके प्रमुख घटक हैं, जिसका जनता की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । वर्ष 2010-2011 से 2012-2013 तक के लिए राज्य का आयोजना व्यय निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपयों में)


आयोजना व्यय	2010-2011 (लेखा)	2011-2012 (पु.अ.)	2012-2013 (आ.अ.)
1	2	3	4
राजस्व लेखा	8069.36	11805.01	12788.24
पूँजीगत लेखा	2950.52	5843.34	7189.08
राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	556.56	1324.37	1953.87
; कस्तु	11576-44	18972-72	21931-19

उपरोक्त तालिका में योजना व्यय का वह अंश ही दर्शाया गया है, जो राज्य के बजट में सम्मिलित है ।


वक; कस्तुक 0; ; ¼ i fr'kr ea ½



2010-2011(लेखा)



2011-2012(पु.अ.)



2012-2013(आ.अ.)

u; k 0; ;

वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक में सम्मिलित किये गये नये व्यय के मद निम्न प्रकार हैं :-


(करोड़ रूपयों में)

व्यय के मद	आयोजनेत्तर	आयोजना	; kx
1	2	3	4
राजस्व लेखा	289.82	1026.36	1316-18
पूँजीगत लेखा	0.00	2902.52	2902-52
; kx	289-82	3928-88	4218-70


वर्ष 2012-2013 में राज्य सरकार के कुल व्यय 37573.61 करोड़ रूपयों में नया व्यय 4218.70 करोड़ रूपया है, जो कुल व्यय का 11.23 प्रतिशत है । नया व्यय में 93.13 प्रतिशत आयोजना तथा 6.87 प्रतिशत आयोजनेत्तर मद के लिये निर्धारित है ।

वित्त बजट ; 2012&2013 1/4/12-1/2

(करोड़ रु. में)



वित्त बजट का वितरण



ykd __.k


राज्य सरकार के लिए ऋण का प्रमुख साधन केन्द्रीय सरकार है । केन्द्रीय सरकार द्वारा ये ऋण, योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले भारी पूँजीगत व्यय की पूर्ति हेतु दिये जाते हैं । योजना के कारण बढ़ते हुए व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार को खुले बाजार से भी ऋण प्राप्त करना पड़ता है । प्राप्तियाँ एवं व्यय की कमी के संतुलन हेतु यदा-कदा शासन को अल्पकालीन ऋणों का प्रसार तथा सरकारी हुंडियाँ भी जारी करना आवश्यक होता है । निम्नांकित तालिका में वर्ष 2010-2011, 2011-2012 तथा 2012-2013 के लोक ऋण की विस्तृत जानकारी दी गई है :-

(करोड़ रूपयों में)

शीर्ष	लिये गये ऋण	चुकाये गये ऋण	शुद्ध लोक ऋण (+) या (-)
1	2	3	4
jkT; I jdkj dk vkrfjd __.k			
2010-2011 (लेखा)	592.43	555.48	36.95
2011-2012 (पु.अ.)	3526.17	898.13	2628.04
2012-2013 (आ.अ.)	4726.54	1099.86	3626.68
dlsh; I jdkj I s __.k rFkk vfxe			
2010-2011 (लेखा)	202.76	135.38	67.38
2011-2012 (पु.अ.)	61.61	144.57	(-) 82.96
2012-2013 (आ.अ.)	242.57	147.05	95.52
dy ykd __.k			
2010-2011 (लेखा)	795.19	690.86	104.33
2011-2012 (पु.अ.)	3587.78	1042.70	2545.08
2012-2013 (आ.अ.)	4969.11	1246.91	3722.20


यक 2012&2013 1/4-1/2

■ केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम
■ राज्य सरकार का आंतरिक ऋण



1/4-1/2

■ चुकाये गये ऋण
■ लोक ऋण (शुद्ध)



युक्तियुक्त


लोक लेखा में वर्ष 2010-2011 (लेखा) के (-) 1439.75 करोड़ रूपयों तथा वर्ष 2011-2012 (पु.अ.) के 690.00 करोड़ रूपयों की तुलना में वर्ष 2012-2013 (आ.अ.) में निधि निक्षेप व प्रेषण लेन-देन द्वारा 500.00 करोड़ रूपयों की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित की गई हैं । इन शुद्ध प्राप्तियों के घटक अंश संक्षेप में नीचे दर्शाये गये हैं :-

(करोड़ रूपयों में)

निधि निक्षेप व प्रेषण लेन देन (शुद्ध प्राप्तियाँ)	2010-2011 (लेखा)	2011-2012 (पु.अ.)	2012-2013 (आ.अ.)
1	2	3	4
1. भविष्य निधियाँ, आदि	328.97	340.00	360.00
2. आरक्षित निधियाँ	(-) 28.08	164.82	121.01
3. जमा तथा अग्रिम	355.26	83.01	83.01
4. उचन्त और विविध	(-) 2129.58	102.17	(-) 64.02
5. प्रेषण	33.68	0.00	0.00
; कुल	1/2 1439-75	690-00	500-00

यकद यशक ¼ 'kq i kflr; k; ½

(करोड़ रु. में)




'kq) yu&nu ds ifj.kke

वर्ष 2012-2013 (-) 2031.73 करोड़ रूपयों की राशि से प्रारम्भ होगा ।
राजस्व लेखे के लेन-देन से 2959.26 करोड़ रूपयों का राजस्व शेष होने की संभावना है । यह वर्ष (-) 2432.80 करोड़ रूपयों की राशि से समाप्त होगा । निम्न तालिका में राज्य सरकार की शुद्ध वित्तीय स्थिति दर्शायी गई है :-

(करोड़ रूपयों में)

शुद्ध लेन-देन	2010-2011 (लेखा)	2011-2012 (पु.अ.)	2012-2013 (आ.अ.)
1	2	3	4
d- ikjfeHkd 'k'k	(-) 555.06	(-) 1480.73	(-) 2031.73
[k- l fpr fuf/k %			
1. राजस्व प्राप्तियाँ	(+)	(+)	(+)
2. राजस्व लेखे पर व्यय	(-)	(-)	(-)
3. पूँजीगत प्राप्तियाँ	(+)	0.00	0.00
3. पूँजीगत व्यय	(-)	(-)	(-)
4. लोक ऋण (शुद्ध)	(+)	(+)	(+)
5. राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम (शुद्ध)	(-)	(-)	(-)
6. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	0.00	0.00	0.00
'kq) l fpr&fuf/k	¼½ 514-08	¼&½ 1241-00	¼&½ 901-07
x- vkdfLedrk fuf/k	0-00	0-00	0-00
¼ kq) ½			
?k- ykd y[kk ¼ kq) ½	¼&½ 1439-75	¼&½ 690-00	¼&½ 500-00
वर्ष के शुद्ध लेन-देन	(-)	(-)	(-)
M- vfire 'k'k	¼&½ 1480-73	¼&½ 2031-73	¼&½ 2432-80

वर्षांक; फलफल & , d न्"V ea 2012&2013 १/२-१/२




'kkl dh; i frHkfr; ka ea foRrh; fofu; kst u

म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 42 के तहत अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य की आरक्षित निधियाँ जिनका विनिधान सरकारी लेखे से बाहर किया गया है, का प्रावधिक प्रभाजन किया गया है । इसके अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के हिस्से की शासकीय प्रतिभूति (Securities) निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपयों में)

विवरण	राशि
1	2
'kkl dh; i frHkfr; k %	
1. अकाल राहत निधि विनिवेश लेखा	0.27
2. राजस्व आरक्षित निधि विनिवेश लेखा	0.41
3. कृषि हेतु विकास निधि से विनिवेश लेखा	0.03
4. अन्य निधि विनिवेश लेखा	0.01
5. रोकड़ शेष विनिवेश लेखा	1.20
; kx ¼/½	1-92
1. संचित शोधन निधि (दिनांक 31-12-2011 की स्थिति में)	1352.98
; kx ¼/½	1352-98
dy ; kx ¼ v \$ c ½	1354-90

'kkl dh; i frHkfr; ka ea foRrh; fofu; kst u



'kl dh; i R; kHkr; k;

(अ) म.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 52 (अ) तथा (ब) के तहत जिन प्रत्याभूतियों का प्रावधिक प्रभाजन किया गया है, उसके अनुसार राज्य शासन के हिस्से की प्रत्याभूति की अदेयता दिसम्बर, 2011 की स्थिति में निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपयों में)

विवरण	राशि
1	2
1. नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में	1.73
2. छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (वित्त निगम प्रकोष्ठ)	27.05
3. छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनियां	*
4. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	*
5. छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ	0.00
; kx ¼½	28-78


* पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप इस ऋण के विभाजन संबंधी अभिलेख उपलब्ध न होने से ऋण राशि के 31-12-2011 की स्थिति में शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ब) राज्य निर्माण के पश्चात् राज्य शासन द्वारा जिन संस्थाओं के पक्ष में प्रत्याभूति दी गई है, उनकी दिसम्बर, 2011 की स्थिति में अदेयता निम्नानुसार है :-


1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	126.72
2. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक	619.27
3. नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में	59.93
4. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अनु.जाति एवं वित्त विकास निगम	1.65
5. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	46.20
6. छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम	6.38
7. छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनियां	306.80
8. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ	1019.99
; kx ¼½	2186-94
dy ; kx ¼½	2215-72

'कल ध; i R; kHkfr; k;

(करोड़ रु. में)



(करोड़ रु. में)



- छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अनु. जाति एवं वित्त विकास निगम
- छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
- नगर निगम, नगर पालिकाओं तथा विकास प्राधिकरणों के पक्ष में
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक
- छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ
- छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनियां


jkT; ; kst uk] 2012&2013 ds vUrxr ifj0; ;

वर्ष 2012-2013 में राज्य योजना का कुल परिव्यय 20260.16 करोड़ रूपयों का है । निम्न तालिका में विकास के विविध शीर्षों पर योजना परिव्यय का विभाजन दर्शाया गया है :-

विकास के शीर्ष	प्रस्तावित परिव्यय (करोड़ रूपयों में)	प्रस्तावित परिव्यय (प्रतिशत में)
1	2	3
1. कृषि तथा सम्बद्ध सेवायें	3019.24	14.90
2. ग्रामीण विकास	661.57	3.27
3. विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	761.46	3.76
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2061.25	10.17
5. उर्जा	713.68	3.52
6. उद्योग एवं खनिज	268.47	1.32
7. परिवहन	2740.74	13.53
8. विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	485.25	2.40
9. सामाजिक सेवायें	8667.91	42.78
10. सामान्य आर्थिक सेवायें	667.93	3.30
11. सामान्य सेवायें	212.66	1.05
; ksx	20260-16	100-00

उक्त योजना परिव्यय में संस्थाओं द्वारा स्वयं के संसाधनों से तथा विभिन्न उपकर निधियों से व्यय की जाने वाली धनराशि सम्मिलित नहीं है ।

jkT; ;kst uk] 2012&2013 ds vrxr ifj0; ; ¼ fr'kr e½



कृषि तथा सम्बद्ध सेवायें	ग्रामीण विकास	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	उर्जा	उद्योग एवं खनिज
परिवहन	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	सामाजिक सेवायें
सामान्य आर्थिक सेवायें	सामान्य सेवायें	

jkT; ;kst uk] 2012&2013 ds fy, l d k/ku


वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक अनुमानों में राज्य आयोजना पर व्यय के लिए 20260.16 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है । राज्य योजना के लिए 2973.98 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मिलेगी । इन अनुमानों के अनुसार उपलब्ध होने वाले सम्भावित राज्य के संसाधनों की राशि 16885.11 करोड़ रुपये है, जिससे संसाधनों में (-) 401.07 करोड़ रुपये का हास होगा । प्रारम्भिक शेष में (-) 2031.73 करोड़ रुपये के घाटे के कारण आय-व्ययक (-) 2432.80 करोड़ रुपये के घाटे से समाप्त होगा । राज्य के संसाधनों की राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(करोड़ रूपयों में)

मद	राशि
1	2
1- राजस्व से शेष	10896.49
2- अल्प बचत में हिस्सा	350.00
3- बाजार से ऋण	2082.70
4- अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध)	350.00
5- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	933.35
6- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	1450.00
7- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त अनुदान	622.57
8- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार	200.00
; ksx	16885-11

jkT; ; kst uk 2012&2013 ds fy, l d k/ku

(करोड़ रु. में)



- अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध)
- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त अनुदान
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार
- अल्प बचत में हिस्सा
- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण
- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
- बाजार से ऋण
- राजस्व शेष

